कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

प्रेस विज्ञप्ती (**40/26,** दिनांक **05.07.2026)**

मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी (MPSJA) द्वारा वन, वन्यजीव और पर्यावरण कानूनों पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी (MPSJA), जबलपुर में 4 और 5 जुलाई 2026 को "वन, वन्यजीव और पर्यावरण कानूनों से जुड़े प्रमुख मुद्दे" विषय पर एक महत्वपूर्ण दो दिवसीय कार्यशाला (Symposium) का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में वन विभाग के 15 वरिष्ठ अधिकारी, 45 ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट और 15 एडीपीओ (ADPOs) ने सहभागिता की।

कार्यशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंद पाठक की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। उद्घाटन सत्र में न्यायिक नवाचारों और संस्थागत समन्वय के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण न्याय को मजबूत करने पर गहन चर्चा हुई। इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक मध्यप्रदेश श्रीमती समिता राजोरा, मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशक श्री उमेश पांडव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) म.प्र. श्री मनोज अग्रवाल, पूर्व निदेशक मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री हेमन्त शर्मा, सहित कई विशेषज्ञ पैनलिस्ट के रूप में उपस्थित रहे।

न्यायमूर्ती श्री पाठक द्वारा अपने उद्बोधन में पर्यावरण और उससे जुड़े उनके न्यायिक नवाचारों की संवेदनषीलता के संबंध में समस्त प्रतिभागियों को अवगत करवाया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ती श्री आनंद पाठक पूर्व में मध्यपद्रेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के प्रशासनिक न्यायमूर्ति के पद पर पदस्थ थे। उनके द्वारा अपने न्यायनिर्णयों के माध्यम से वर्ष 2017 से अब तक करीब 3500 मामलों में वृक्षारोपण के आदेष पारित करते हुए करीब 30000 पौधों का वृक्षारोपण करवाया गया और 129 मामलों में वाटर हारवेस्टिंग करवाये जाने के आदेश जमानत आदि मामलों में विषेष शर्त के रूप में पारित किए गए । न्यायमूर्ति श्री पाठक के आदेशनुसार ग्वालियर शहर में स्थित सिरोल, हरिपर्वत और आनंद पर्वत पर हुए वृक्षारोपण ग्वालियर शहर और पर्यावरण के लिये अत्यंत लोकप्रिय, लाकोपयोगी और राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय रहे हैं। उनके आदे में अक्सर अंत में यह लिखा जाता है कि ‘‘यह प्रयास केवल एक वृक्ष के रोपण का प्रश्न नहीं है, बल्कि एक विचार के अंकुरण का है’’।

दो दिवसीय तकनीकी सत्रों के दौरान वन भूमि विवादों, जैव विविधता अधिनियम 2002, मध्य प्रदेश वन उपज अधिनियम, वन्यजीव फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के महत्व जैसे गंभीर विषयों पर मंथन किया गया। इसके साथ ही, मध्यप्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स के प्रभारी श्री रितेश सरोठिया एवं अकादमी के अतिरिक्त निदेशक श्री सचिन शर्मा एवं संकाय सदस्यों द्वारा वन अपराधों की जांच, तलाशी, जब्ती और वन्यजीव मामलों में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रियाओं पर व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य वन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति न्यायिक और प्रशासनिक तालमेल को और सुदृढ़ करना है।

उक्त प्रशिक्षण से वन अधिकारियों का कौशल उन्नयन होगा एवं क्षेत्रीय कार्य के संपादन में दक्षता आएगी व वन्यजीव अपराध के प्रकरणों की विवेचना में सहायता मिलेगी, डिजिटल एविडेंस को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतीकरण मे मदद मिलेगी, जिससे माननीय न्यायालय के समक्ष शासन की ओर से पक्ष मजबूती के साथ रखा जा सकेगा।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल